सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 218 राँची, बुधवार, 11 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 मई, 2022

संख्या-5/आरोप-1-10/2019-5014 (HRMS)--श्री शेखर कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-114, दिनांक 12.02.2019 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत प्रशासनिक मद से मनरेगा योजनाओं के लिए 250 रू० प्रति के दर से आपूर्तिकर्ता ललन राम से 1611 अदद मेडिकल किट एवं सचिन कुमार आनन्द से 1610 अदद मेडिकल किट कुल 3221 अदद मेडिकल किट का क्रय किया गया, जिसका भुगतान रू० 8,05,250/- (आठ लाख पाँच सौ पच्चीस रू0 मात्र) किया गया। जबकि दोनों आपूर्तिकर्ता द्वारा कुल 1300 अदद मेडिकल किट ही आपूर्ति किया गया है। वर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा सैम्पल के रूप में मेडिकल किट का जाँच किया गया जिसका मूल्य अनुमान्यतः रू० 215.49 पाया गया। इस तरह 1300 अदद मेडिकल किट का वास्तविक मूल्य रू० 2,80,137/- (दो लाख अस्सी हजार एक

सौ सैंतीस रू० मात्र) होता है। इस प्रकार पूर्व में भुगतान की गई राशि तथा वर्तमान में आकलन की गई राशि का वास्तविक अंतर रू० 5,25,113/- (पाँच लाख पच्चीस हजार एक सौ तेरह रू० मात्र) होता है जो दर्शाता है कि आपूर्तिकर्ताओ को फर्जी रूप में भुगतान की गई है। इस प्रकार यह मामला पूर्णतः ही वित्तीय अनियमितता को उजागर करता है ।

2. मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का प्राक्कलन में ही मेडिकल किट का प्रावधान किया गया है। किन्तु श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा मेडिकल किट क्रय कर मनरेगा अन्तर्गत प्रशासनिक मद से भुगतान किया गया है, जो मनरेगा एक्ट का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है ।

3. आपूर्तिकर्ता के चयन हेतु किसी भी प्रकार की निविदा नहीं निकाला गया है।

4. आपूर्तिकर्ता को प्रखण्ड निर्गत कार्यादेश में मेडिकल किट के अवयवों को मुद्रित नहीं किया गया है ।

5. श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा मनमानी तरीका से रू० 10,00,000/- (दस लाख रू० मात्र) का एफ०टी०ओ० कर शून्य खाता में राशि को रखा गया है। जबकि खर्च के अनुरूप ही राशि का एफ०टी०ओ० कराना है। यह मनरेगा अधिनियम का सरासर उल्लंघन है और उक्त राशि का गबन किया गया है। इनका यह कृत्य सरकार के मनरेगा योजना में सरकारी राशि का गबन करने, स्वेच्छाचारिता, कत्र्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2426 दिनांक 19.03.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 21.06.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6791, दिनांक 08.08.2019 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-777/मनरेगा, दिनांक 14.12.2019 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-4645(hrms), दिनांक 17.03.2020 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-55, दिनांक 28.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत् है-

(a) आरोपी पदाधिकारी के द्वारा कुल 3221 किट का आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया है जबकि आरोपी पदाधिकारी के अपने पद पर रहते हुए मात्र 1300 किट की ही आपूर्ति हो पाया है, जिसका वितरण भी किया गया है, जबकि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा कुल 3221 किट का रू० 250/- प्रति किट की दर से रू० 8,05,250/- रूपया का भुगतान किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव-बयान में कहा गया है कि उनके स्थानांतरण के पश्चात 1921 किट की आपूर्ति किया गया, जिसे प्रखण्ड परिसर स्थित किसान भवन में रखा गया था परन्तु तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री लक्ष्मी नारायण किशोर द्वारा 1921 किट को आपूर्तिकर्ता के गोदाम में वापस करवा दिया गया। आरोपी पदाधिकारी के इस स्वीकरोक्ति से स्पष्ट है कि उनके कार्यावधि में रहते हुए 1300 किट का ही आपूर्ती हुआ था परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा कुल 3221 किट का भुगतान

रू० 8,05,250/- रूपया कर दिया गया है। तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री लक्ष्मी नारायण किशोर के द्वारा जब किट में अवस्थित अवयवों का जाँच किया गया तो मात्र 10 (दस) अवयव ही पाया गया एवं उन 10 (दस) अवयवों का मूल्यांकन करने पर एक कीट का कीमत रू0 215.49 रूपया ही पाया गया। अर्थात 1300 किट का कीमत रू० 2,80,137/- रूपया ही होता है। अर्थात आरोपी पदाधिकारी के द्वारा रू० 5,25,113/- रूपया अधिक का भुगतान किया गया है। नियमत जब कोई भी सामग्री प्राप्त होता है तो उसे भंडार पंजी में इन्द्राज करना पड़ता है एवं भंडार पंजी में इन्द्राज का सत्यापन के पश्चात विपत्र पारित करते हुए राशि का भुगतान होता है। परन्तु इस मामले में 1300 किट प्राप्ति एवं वितरण का जिक्र है शेष 1921 किट का आपूर्ति आरोपी पदाधिकारी के स्थानांतरण के पश्चात आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ती किया गया है। अर्थात बिना सामग्री का आपूर्ति हुए ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा 1921 किट का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार से आरोपी पदाधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गई है ।

(b) आरोपी पदाधिकारी द्वारा मेडिकल कीट की आपूर्ति आदेश में आपूर्ति किये जाने वाले अवयवों का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि बचाव बयान में कुल 11 अवयव होने की बात कही गयी है तथा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(c) आपूर्तिकर्ता के चयन के लिए कोई निविदा नहीं निकाली गयी तथा जिला स्तर पर आपूर्तिकर्ता के चयन के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(d) मेडिकल कीट क्रय करने का प्रावधान प्रत्येक योजना के प्राक्कलन में सन्निहित है फिर भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा 10,00,000/- (दस लाख) का FTO करके Zero Balance खाता में राशि को रखकर एक मुश्त मेडिकल कीट क्रय करते हुए आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है, जबकि खर्च के अनुरूप ही राशि का एफ0टी0ओ0 कराना है, जिसे वित्तीय अनियमितता कहा जा सकता है ।

(e) आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में की गयी स्वीकारोक्ति कि निर्गत कार्यादेश में मेडिकल कीट के अवयवों पर चर्चा नहीं करना एवं कार्यादेश के पूर्व FTO के माध्यम से राशि की निकासी करना एक मानवीय भूल थी, जिसे क्षमा किया जा सकता है, कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष मे कहा गया है की आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत मेडिकल किट का आपूर्ति आदेश निर्गत करते हुए किट का आपूर्तिकर्ताओ को राशि का भुगतान किया गया है। आपूर्तिकर्ताओ को फर्जी भुगतान किया गया है। 1300 मेडिकल किट का वास्तविक मूल्य रू० 215.49 प्रति की दर से रू० 2,80,137/- रूपये ही होता है एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा रू० 5,25,113/- रूपये का अधिक भुगतान किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता को उजागर करता है एवं जब मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का प्राक्कलन में ही मेडिकल किट का प्रावधान किया गया है, फिर भी आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मेडिकल किट क्रय कर मनरेगा अंतर्गत प्रशासनिक मद से भुगतान किया गया है, जो मनरेगा एक्ट का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है। उपरोक्त विश्लेषण के उपरांत आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव-बयान स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है एवं प्रपत्र "क" में आरोपी पदाधिकारी पर गठित आरोप प्रमाणित होता है । संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)

नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-4869, दिनांक 15.09.2021 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 06.12.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय कारण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) इनका कहना है कि इनके द्वारा विभाग को प्रथम कारण पृच्छा प्रेषित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा आवश्यकताओं के मद्देनजर कार्यहित में मनरेगा अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं, जिसमें कार्य प्रगति पर था एवं अधिनियम के तहत् आवश्यक था, वैसी सभी कार्यान्वित योजनाओं में कार्यरत मनरेगा मजदूरों के हित में प्रथम उपचार पेटी (मेडिकल किट) योजना स्थल पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसी भी विषम परिस्थिति में मजदूरों के तत्काल चिकित्सीय सुविधा मुहैया हो सके ताकि ऐसी परिस्थिति में इनके द्वारा मनरेगा पोर्टल में निबंधित स्थानीय भेंडर (जिनका चयन जिला कार्यालय द्वारा किया गया था) को अविलम्ब कुल 3221 मेडिकल किट की आपूर्ति सभी पंचायतों में करने हेतु आदेश निर्गत किया गया। इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल किट की खरीदारी में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

(ख) आपूर्तिकर्ता को फर्जी रूप से भुगतान करने के संबंध में इनका कहना है कि मनरेगा अन्तर्गत सामग्री मद में राशि की उपलब्धता बराबर नहीं रहती थी एवं संबंधित आपूर्तिकर्ता के द्वारा एक मुश्त सभी मेडिकल किट को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके मद्देनजर उन्हें भुगतान की जाने वाली कुल 3221 मेडिकल किट की निर्धारित राशि तथा मनरेगा कर्मियों के मानदेय के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता को देखते हुए शून्य बैलेंस वाले खाता में कुल 10 लाख रूपये एफ०टी०ओ० के माध्यम से जमा किया गया एवं पुनः चेक के माध्यम से भेंडर तथा मनरेगा कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया गया। इनके द्वारा फर्जी तरीके से भुगतान नहीं किया गया है, सभी भुगतान की गई राशि को रोकड़ पंजी में प्रविष्टि की गई है। इनके द्वारा मजदूरों एवं अल्प मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मियों के हित में कार्य किया गया है ।

(ग) मेडिकल कीट के अव्यवों को मुद्रित नहीं करने के संबंध में इनका कहना है कि संबंधित भेंडरों के द्वारा कुल 11 अव्यवों (बॉक्स सहित) कार्यालय को उपलब्ध कराया गया।

(घ) इनका कहना है कि संबंधित मामलों में निदेशक, ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-698/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 24.08.2020 में भी स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल कीट की खरीदारी में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

(ङ) उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए इनके द्वारा कार्यहित में कराये गये कार्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तावित दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष पूर्व में समर्पित अपने बचाव बयान से इतर कोई नया तथ्य नहीं देते हुए उन्हीं वक्तव्यों की पुनरावृति की गई है। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा मे एक भी कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो आरोप के प्रतिकूल हो ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHEKHER KUMAR 20080400066	श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शेखर कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 218 -- 50